2015/00010

मिसल नं0 01/2015 सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा बनाम इब्राहिम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-10-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संबंधी) नियम 1957 के अधीन कृषि भूमि का स्थायी आवंटन के नियम 4 व 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि दिनांक 16.01.1962 को ग्राम गोरधनपुरा की ग्राम गोरधनपुरा की भूमि खं0 नं0 111 रकबा 0.97 है0 का आवंटन किया गया था । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लघंन करने एवं आदिनांक तक आवंटित भूमि पर अप्रार्थी (आवंटी) का कब्जा काश्त नही होने से नियम 14 (4) के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तहसीलदार पीपल्दा के पत्र क्रमांक/तह./ भू.अ./2017/2385 दिनांक 18.09.2017 के साथ संलग्न पटवारी हल्का मौका पर्चा ग्राम खातोली दिनांक 13.09.2017 मे तथ्य अंकित किये है कि इब्राहिम पुत्र वजीर खां जाति मुसलमान के लगभग 40–50 वर्ष पूर्व ग्राम ज्वालापुर ग्राम पंचायत सूई तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश मे निवास कर रहे थे । जिसकी मजमे आम मे प्राप्त जानकारी के मृत होना बताया गया है । उक्त व्यक्ति वर्तमान मे ग्राम खातोली मे निवास नही करते है । चूंकि तहसीलदार पीपल्दा के पत्र क्रमांक/तह./ भू.अ./2017/2385 दिनांक 18.09.2017 के साथ संलग्न पटवारी हल्का मौका पर्चा ग्राम खातोली दिनांक 13.09.2017 मे तथ्य अंकित किये है कि इब्राहिम पुत्र वजीर खां जाति मुसलमान के लगभग 40–50 वर्ष पूर्व ग्राम ज्वालापुर ग्राम पंचायत सूई तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश मे निवास कर रहे थे । जिसकी मजमे आम मे प्राप्त जानकारी के मृत होना बताया गया है । उक्त व्यक्ति वर्तमान मे ग्राम खातोली मे निवास नही करते है । जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नही है ।अतः तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर वासियान के सही पते अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार पीपल्दा को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	